न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री आर.के.मिश्रा, सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग/3087/दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-07-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 573/अपील/13-14.

---

1. मु. भगवनिया पलि स्व.सुखनन्दन यादव उम्र 70 वर्ष
2. भारत यादव तनय स्व. सुखनन्दन यादव उम्र 55 वर्ष
3. विश्वनाथ तनय स्व. सुखनन्दन यादव उम्र 52 वर्ष
4. शिवदास तनय स्व. सुखनन्दन यादव उम्र 55 वर्ष
5. कैलाश यादव तनय स्व. सुखनन्दन यादव उम्र 55 वर्ष
6. दशरथ यादव तनय स्व. सुखनन्दन यादव उम्र 55 वर्ष

सभी निवासी ग्राम – गडौली, तहसील – अमरपाट, जिला – सतना (म.प्र.)

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

बनाम

शासन म.प्र. द्वारा पटवारी, हल्का – जरमोहरा, तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.)

.....गैरपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

श्री आर.एन.पटेल अभिभाषक, आवेदकगण

शासकीय अधिवक्ता, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/8/18 को पारित)

1/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 21-07-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में निगरानीकर्ता का तथ्य यह है कि स्वत्व अधिपत्य की भूमि खसरा, नम्बर 218 रकवा 0.78 ए., ग्राम गडौली पटवारी हल्का जरमोहरा तहसील अमरपाटन, जिला सतना म.प्र. क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। उक्त भूमि पर वहैसियत भूमिस्वामी हाल बन्दोवस्त माखन उर्फ मराखन एवं खेलाडी यादव काबिज थे, माखन के उपरांत शंकर यादव एवं खेलाडी के उपरांत उनके पुत्र सुखनन्दन काबिज रहे, जिनका भी देहान्त हो चुका है। किन्तु उक्त भूमि के खसरेमें शंकर एवं सुखनन्दन को दर्ज करने के बजाय हल्का पटवारी द्वारा शासन म.प्र.दर्ज कर दिया था। तब सुखनन्दन द्वारा वर्ष 1981-82 के प्रकरण पंजी से यह ज्ञात हुआ कि प्र.क्र.

7/अ26/81-82 आदेश दिनांक 23-11-82 के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि को सरकारी खाता में दर्ज किया गया है। पंजी की नकल के आधार पर न्यायालय अनुविभागीयअधिकारी के समक्ष आदेश दिनांक 23-11-82 के विरूद्ध अपील प्रस्तुतकी गयी किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 09-05-14 के मुताबिक अपील निरस्त कर दी गयी। जिसके विरूद्ध सुखनन्दन के वारिसानद्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपर आयुक्त महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अनुसरण करते हुए आदेश दिनांक 21-07-14 द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3/ आवेदक के विद्दवान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा के आलौच्य आदेश दिनांक 21-07-14 में पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका के पति स्व.सुखनन्दन यादव के पिता खेलाडी ग्राम बहरा में बस गये थे। खेलाडी के पिता के बारे में नहीं बताया गया कि वे कहां के है, खेलाडी के पुत्र सुखनन्दन की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिसान अपीलांटगण मौजूद है। पटवारी पंचनामा में यह अंकित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की है। वादग्रस्त भूमि पर मंदिर, विद्दालय एवं आंगनवाडी भवन बना है। अपीलांट का लगभग 25 वर्षों से उक्त भूमि पर कोई दखलनदाजी व निस्तारनहीं है। अतएब अपर आयुक्त रीवासंभाग रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण 77/अपील/09-10 में पारित आदेश दिनांक स्थिर रखा गया है।

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आलौच्य प्रकरण क्रमांक 573/अपील/13-14 में आदेश दिनांक 21-07-14 का भली भांति अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अपीलांट के कूट रचित दस्तावेजोंके आधार पर उसे वादग्रस्त भूमि के भूमि का वारिस मानकर उसके नाम भूमि का नामांतरण नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता भूमिस्वामी नहीं है बल्कि भूमि स्वामी म.प्र.शासन है।

प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 573/अपील/13-14 आदेश दिनांक 21-07-14 को निरस्त किया जा सके। अत: अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा आदेश दिनांक 21-07-14 हस्तक्षेप योग्य न होने से स्थिर रखा जाता है एवं निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस हो।

3/8/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर